

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- प.3(ग)एसीपी/अलेसे-II/2018/ **2731**

दिनांक:- 14/3/19

संशोधित आदेश

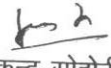
इस विभाग के पत्र क्रमांक प.3 (ई) एसीपी / 2018 / अलेसे-II / 2264 दिनांक 31.10.2018 (आदेश संख्या: 94/ 2018-19) में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स के लेवल L-12 में स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.*	नरेश कुमार चांवरियां	436/92	10.05.1995	01.06.2017	-

*उपरोक्त क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री नरेश कुमार चांवरियां, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 01.06.2017 के अनुसार देय होने की दिनांक के तीन वर्ष बाद एसीपी स्वीकृत की जा सकती है, जो कि दिनांक 01.06.2017 से प्रभावी है। श्री नरेश कुमार चांवरियां की उपरोक्तानुसार 3 वर्ष पूर्ण होने पर दिनांक 10.05.2016 को एसीपी देय होती है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.06.2017 की प्रभावी दिनांक के अनुसार एवं परिनिंदा के दण्ड को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 05.10.2018 से प्रभावहीन किये जाने के कारण द्वितीय एसीपी दिनांक 01.06.2017 से स्वीकृत की गई है।

उपरोक्त कार्मिक/कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14 एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें:-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
 2. पूर्व में द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
 3. कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित आश्वासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
 4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
 5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
- इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

दिनांक:- 14/3/19

क्रमांक:- प.3(ग)एसीपी/अलेसे-II/2018/ **2731**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)